



SOUTHERN RAILWAY

No.P(R)553/P/Ed.Qlfn.

Headquarters Office
Personnel Branch
Chennai - 600 003
Dated: 28-06-2013

RBE No. 40 / 2013

PBC No: 68 / 2013

All PHODs / DRMs / CWMs / CEWE / CAO / CPM / Dy.CPOs / Sr.DPOs /
DPOs / SPOs / WPOs / APOs of HQ / Divisions / Wokshops / other Units, etc.,
(As per mailing list - 'A')

Sub: Recognition of qualification of Prathama Examination
conducted by Hindi Sahitya Sammelan, Allahabad.

A copy of Railway Board's letter No.E(NG)-II/2005/RR-1/6 dated
30-04-2013 (RBE No. 40 / 2013) on the above subject is enclosed for
information, guidance and necessary action.

Railway Board's letters referred therein has been circulated as under :

Sl. No.	Railway Board's letter No.	Board's letter Dated	PBC No.
1	No.E(NG)-II/2005/RR-1/6	26-04-2005	No. 83 / 2005
2	No.E(NG)-II/2005/RR-1/6	23-01-2007	No. 26/ 2007
3	No.E(NG)-II/2005/RR-1/6	30-08-2012	No. 142 / 2012

M. ———
(M.SRINIVASALU) 28/6/13

Asst.Personnel Officer / Rules
for Chief Personnel Officer

Encl: as above

Copy to : The Genl.Secy. SRMU
The Genl.Secy. AISCSTREA
The Genl.Secy. AIOBCREA



GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

RBE No. 40 /2013.

No. E (NG)-II/2005/RR-1/6.

New Delhi, dated: 30 / 4 /2013

The General Manager (P),
All Zonal Railways/Production Units, CORE/ALD, Metro Railway/Kolkata;
CAO/MTP/Chennai, Mumbai;
CAO (R), DMW/Patiala, COFMOW/New Delhi;
Chairmen/All Railway Recruitment Boards;
Director General, RDSO/Lucknow & RSC/Vadodra;
Director, IRISSET/Secundrabad, IRICEN/Pune, IRIEEN/Nasik & IRIM&EE/Jamalpur;
DFCCIL/New Delhi and Managing Director/Konkan Railway Corporation Ltd.

Sub: Recognition of qualification of Prathama Examination conducted by Hindi Sahitya Sammelan, Allahabad.

Ref: Letter No. E(NG)II/2002/RR-1/7 dated 25.1.2002 (RBE No.11/2002), letters of even number dated 26.4.2005 (RBE No.67/2005), 23.1.2007(RBE No. 13/2007) & 30.8.2012 (RBE No. 94/2012).

Attention is invited to instructions contained in Board's letter of even number dated 30.8.2012 (RBE No. 94/2012) where it was apprised that no further extension for recognition has been granted to the above stated examination for the purpose of employment on the railways to the posts for which prescribed qualification is matriculation.

The matter has been further examined by M/o Human Resource of Development (MHRD) and it has been decided by them to withdraw instructions which provided for not recognizing the qualification cited above subject to the condition that all those students who are enrolled with the institution with permanent recognition up to 31.5.2013 would be eligible for consideration in accordance with MHRD's notification No. F.24-4/2001-TS.III dated 27.7.2001, 14.5.2004 and 21.11.2006 circulated vide this office letter No. E(NG)II/2002/RR-1/7 dated 25.1.2002 (RBE No. 11/2002) and letter of even number dated 26.4.2005 (RBE No. 67/2005) & dated 23.1.2007 (RBE No. 13/2007) respectively where after these orders will cease to have effect from 01.6.2013.

The instructions contained in Board's letter of even number dated 30.8.2012 (RBE No. 94/2012), therefore, stand suitably amended.

Please acknowledge receipt.
(Hindi version will follow)

dt 30/4/13
(Harsha Dass)
Director Estt. (N)-II
Railway Board

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं. 40/2013

सं. ई(एनजी)-II/2005/आरआर-1/6.

नई दिल्ली, दिनांक: 30/04/2013

महाप्रबंधक (पी)

सभी क्षेत्रीय रेलवे/ उत्पादन इकाइयां, कोर/इलाहाबाद, मेट्रो रेलवे/कोलकाता;

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/एमटीपी/चैन्नई, मुंबई;

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(आर), डीएमडब्ल्यू/पटियाला, कॉफमो/नई दिल्ली;

अध्यक्ष/सभी रेलवे भर्ती बोर्ड;

महानिदेशक, अ.अ.मा.स./ लखनऊ एवं रेलवे स्टॉफ कॉलेज/वडोदरा;

निदेशक, इरिसेट/सिकंदराबाद, इरिसेन/पुणे, आईआरआईईईएन/नासिक एवं आईआरआईएम एवं
ईई/जमालपुर;

डीएफसीसीआईएल/नई दिल्ली और प्रबंध निदेशक/कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड;

विषय: हिंदी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद द्वारा आयोजित प्रथमा परीक्षा की अर्हता को मान्यता प्रदान करना।

संदर्भ: दिनांक 25.01.2002 का पत्र सं. ईएनजी II/2002/आरआर-1/7 (आरबीई सं.11/2002), दिनांक 26.04.2005 (आरबीई सं. 67/2005), 23.01.2007 (आरबीई सं. 13/2007) एवं 30.08.2012 (आरबीई सं. 94/2012) के समसंख्यक पत्र।

आपका ध्यान बोर्ड के दिनांक 30.08.2012 के समसंख्यक पत्र (आरबीई सं 94/2012) में अंतर्विष्ट अनुदेशों की ओर दिलाया जाता है जिसमें यह सूचित किया गया था कि उन पदों, जिनके लिए निर्धारित अर्हता मैट्रिकलेशन है, के लिए रेलों में रोजगार के प्रयोजन से उपर्युक्त परीक्षा के लिए दी गई मान्यता की समयावधि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।

इस मामले की मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा फिर से जांच की गई है और उनके द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि उपर्युक्त अर्हता को मान्यता प्रदान न करने के लिए दिए गए अनुदेशों को इस शर्त पर वापिस लिया जाए कि वे सभी विद्यार्थी, जिन्हें 31.05.2013 तक स्थायी मान्यता के साथ इस संस्थान में नामांकित किया गया है, इस कार्यालय के क्रमशः दिनांक 25.01.2002 के पत्र सं. ई(एनजी)II/2002/आरआर-1/7 (आरबीई सं. 11/2002) और दिनांक 26.04.2005 (आरबीई सं. 67/2005) एवं दिनांक 23.01.2007 (आरबीई सं. 13/2007) के समसंख्यक पत्र के तहत परिपत्रित मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिनांक 27.07.2001, 14.05.2004 और 21.11.2006 की

अधिसूचना संख्या एफ.24-4/2001-टीएस.III के अनुसार विचार किए जाने के लिए पात्र होंगे। इसके बाद ये आदेश 01.06.2013 से प्रभावी नहीं होंगे।

अतः बोर्ड के दिनांक 30.08.2012 के समसंख्यक पत्र (आरबीई सं. 94/2012) में अंतर्विष्ट अनुदेशों को उपयुक्त रूप से संशोधित किए जाते हैं।

कृपया पावती दें।




(हर्षा दास)

निदेशक स्थापना. (एन)-II

रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित: -

- 1 महासचिव, एआईआरएफ, कमरा नं0 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
- 2 महासचिव, एनएफआईआर, कमरा नं0 256ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
- 3 विभागीय परिषद एवं राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य एवं सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
- 4 महासचिव, फ्रोआ, कमरा नं 256-ए, रेलवे बोर्ड (05 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
- 5 सचिव, आरबीएसएस, 'ग्रुप ए ऑफिसर्स एसोसिएशन'।
- 6 अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड क्लास-II, आफिसर्स एसोसिएशन।
- 7 महासचिव, इरपोफ।
- 8 सचिव, भारतीय रेलवे क्लास-II, ऑफिसर्स एसोसिएशन।
- 9 सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन।
- 10 अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड ग्रुप IV कर्मचारी एसोसिएशन।
- 11 महासचिव, एआईआरपीएफ एसोसिएशन।
- 12 महासचिव, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन, कमरा नं 7, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 13 मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ।
- 14 मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रेल कोच फैक्टरी/रायबरेली परियोजना, किशनगंज, दिल्ली-110007।



कृते सचिव/रेलवे बोर्ड